

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय, अनुपूरक अनुदानों और सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट तैयार करने का वार्षिक कार्य लोक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का ब्योरा देने का एक साधन है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदानों की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में अधिदेशित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में प्रस्तुत किया जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरणों और अनुदानों की मांग में होने वाले व्यय के अनुमानों को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। यह बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु प्रावधान है।

उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, को तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आंकड़े दिये जाते हैं, तथापि आकलनों और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरणों के अनुमानों को अंतिम रूप दे।

- राज्य सरकार अनुदानों/विनियोगों के लिए अपने वार्षिक बजट और मांगों¹ को प्रस्तुत करके राज्य की संचित निधि से व्यय की विधायी स्वीकृति सुनिश्चित करती है।
- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय का वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान/विनियोग उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित है, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/ विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

उत्तराखण्ड सरकार का वित्त विभाग हर साल पत्र जारी कर बजट तैयार करने की रूपरेखा बताता है। वर्ष 2023-24 में बजट की तैयारी के लिए, दिनांक 09 दिसम्बर 2022 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है:

- बजट अनुमानों की शुद्धता और उसकी जिम्मेदारी बजट मैनुअल के पैरा 16 (अध्याय 3) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। राज्य सरकार के लेखे आम तौर पर नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं; इसलिए, व्यय की सभी मदों और आय के सभी स्रोतों और वास्तविक परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक पर सावधानीपूर्वक और गहन विचार के बाद अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।
- बजट मैनुअल के पैरा 17 (अध्याय 3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बजट अनुमान, एक नियम के रूप में, सकल आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, न कि शुद्ध निवल आधार पर। प्रत्येक विभाग में प्राप्तियों और शुल्कों दोनों के मामले में सकल लेनदेन को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। प्राप्तियों का अनुमान प्राप्त पक्ष पर और व्यय का अनुमान व्यय पक्ष पर लगाया जाना चाहिए।
- विभागाध्यक्षों और अन्य आकलन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रत्येक लेखा शीर्ष जिससे वे संबन्धित हैं, के लिए अनुमान तैयार करना चाहिए और निर्धारित तिथियों तक महालेखाकार को एक प्रति के साथ प्रशासनिक विभागों को अनुमान भेजना चाहिए। महालेखाकार विगत

¹ 2023-24 के अनुदानों/विनियोजनों के लिए 31 मांग हैं।

वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता है, अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करता है, और ऐसी सहायता प्रदान करता है जो वित्त विभाग द्वारा उचित रूप से मांगी जा सकती है।

- बजट मैन्युअल के पैरा 31 (अध्याय 5) के अनुसार, सामान्यतः एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य है, वहां बजट अनुमानों की टिप्पणियों में प्रमुख कार्य शीर्ष और संबंधित अनुमानों का विवरण दिया जाना चाहिए।
- पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाते समय, ऋण और अग्रिम की वसूली एक प्रमुख शीर्ष है। इसलिए, इन अनुमानों को तैयार करते समय, दिए गए ऋणों और अग्रिमों की किस्तों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के लिए लंबित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके अनुमान भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- जहां तक संभव हो नए पदों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए और यदि यह अपरिहार्य हैं तो नए पदों का सृजन अधिकतम एक प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में निर्धारित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग सरकारी बजट के लिंग-आधारित परिणामों का पता लगाने के लिए बजट का विभाजन है और यह लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जेंडर बजट समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजटीय नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन और प्रावधानित बजट में परिमाणीकरण पर्याप्तता का आकलन जेंडर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है। बजट के अंतर्गत विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए बजट निर्धारित करने वाली योजनाओं को श्रेणी-1 में रखा गया है और 30 प्रतिशत से अधिक वाली योजनाओं को श्रेणी-2 में रखा गया है।

2019-20 से 2023-24 तक जेंडर बजट आवंटन का ब्योरा नीचे तालिका-3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान जेंडर बजट के अन्तर्गत प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जेंडर बजट	6,193	6,205	7,784	13,771	13,920
कुल बजट	51,198	57,591	65,012	71,012	88,728

स्रोत: बजट एवं जेंडर बजट उत्तराखंड सरकार।

जेंडर बजट के अन्तर्गत बजट आवंटन 2019-20 में ₹ 6,193 करोड़ से ₹ 7,727 करोड़ बढ़कर 2023-24 में ₹ 13,920 करोड़ हो गया। हालांकि, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में इसमें केवल ₹ 149 करोड़ की वृद्धि हुई। यह आवंटन विशेष रूप से श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर 21 अनुदानों में किया गया था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए श्रेणी 1 और 2 के संबंध में वर्ष-वार आवंटन और व्यय तालिका-3.1(क) में दिया गया है।

तालिका-3.1(क): वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान श्रेणीवार जेंडर बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	बजट	व्यय	बजट के प्रति व्यय प्रतिशत	बजट	व्यय	बजट के प्रति व्यय प्रतिशत
2019-20	1,126.30	890.13	79.03	5,066.59	4,056.84	80.07
2020-21	1,125.96	1,010.16	89.72	5,078.60	8,080.44	159.11
2021-22	1,364.47	988.51	72.45	6,419.04	7,924.22	123.45
2022-23	2,068.21	1,205.52	58.29	11,703.10	9,791.67	83.67
2023-24	2,022.88	1,477.72	73.05	11,897.25	12,460.01	104.73

स्रोत: उत्तराखंड बजट।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि श्रेणी-1 (100 प्रतिशत बजट पूरी तरह से महिलाओं के लिए) में, विगत वर्षों में उपयोग किए गए बजट के प्रतिशत में उतार-चढ़ाव रहा है। 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2023-24 में उपयोग 72 से 89 प्रतिशत के बीच था जो प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। हालांकि, 2022-23 में, व्यय बजट का केवल 58 प्रतिशत था, जो कम उपयोग को इंगित करता है। जेंडर समानता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार को आवंटित बजट पर नज़र रखने और पूरी तरह से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर श्रेणी 1 में, एक तंत्र लागू करना चाहिए।

3.2.1(क): अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) बजट

राज्य का एस सी और एस टी बजट कुल बजट में प्रस्तावित उस व्यय को दर्शाता है, जो उन योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा, जिनका उद्देश्य एस सी और एस टी समुदायों को लाभ पहुंचाना है, एवं जिसका ज़ोर समानता प्राप्ति, आर्थिक, शैक्षिक और मानव विकास के साथ-साथ सुरक्षा, सामाजिक गरिमा और एस सी एवं एस टी के बीच समानता को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना, ताकि इन समुदायों का त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके। 2019-20 से 2023-24 तक एस सी और एस टी (अनुदान संख्या 30 और 31) पर वर्षवार आवंटन और व्यय तालिका-3.1(ख) में दिया गया है।

तालिका-3.1(ख): एस सी और एस टी बजट

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बजट आवंटन	51,198	57,591	65,012	71,012	88,728
एस सी के लिए आवंटन	1,536	1,640	2,124	2,095	2,463
एस टी के लिए आवंटन	517	550	640	619	733
एस सी के आवंटन की कुल बजट से तुलना (प्रतिशत में)	3.00	2.85	3.27	2.95	2.78
एस टी के आवंटन की कुल बजट से तुलना (प्रतिशत में)	1.01	0.96	0.98	0.87	0.83
एस सी के लिए व्यय	1,068	1,236	1,184	1,338	1,697
एस टी के लिए व्यय	337	366	406	379	465
एस सी आवंटन का उपयोगिता प्रतिशत	70	75	56	64	69
एसटी आवंटन का उपयोगिता प्रतिशत	65	67	63	61	63

स्रोत: उत्तराखंड बजट।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, एससी के लिए पूर्ण आवंटन 2019-20 में ₹ 1,536 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 2,463 करोड़ हो गया है। इस वृद्धि के बाद भी इस अवधि के दौरान एस सी को आवंटित कुल बजट का प्रतिशत 3.00 प्रतिशत

से घटकर 2.78 प्रतिशत हो गया है। इससे पता चलता है कि जहां सांकेतिक राशि में वृद्धि हुई है, वहीं कुल बजट की तुलना में सापेक्ष अनुपात में थोड़ी गिरावट आ रही है। इसी प्रकार, एस टी के लिए पूर्ण आवंटन 2019-20 में ₹ 517 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 733 करोड़ हो गया है, तथापि, एस टी को आवंटित कुल बजट का प्रतिशत 1.01 प्रतिशत से घटकर 0.83 प्रतिशत हो गया है। इससे एस टी को आवंटित कुल बजट के सापेक्षिक अनुपात में गिरावट का भी पता चलता है।

एस सी को आवंटन का उपयोगिता प्रतिशत परिवर्तनशीलता दर्शाता है, परंतु यह 56 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के इर्द-गिर्द की सामान्य प्रवृत्ति बनाए रखता है। सबसे अधिक उपयोग 2020-21 में (75 प्रतिशत) था, और सबसे कम 2021-22 में (56 प्रतिशत) था। इसके अतिरिक्त, एस टी के लिए आवंटन का उपयोगिता प्रतिशत अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, जो 61 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक है। सबसे अधिक उपयोग 2020-21 में (67 प्रतिशत) था और सबसे कम 2022-23 में (61 प्रतिशत) था।

3.2.1(ख) आउटकम बजट

आउटकम बजटिंग एक ऐसी बजटिंग कार्यनीति के रूप में प्रचलित है जो व्यय/आवंटन को निश्चित निष्कर्ष और परिणामों से जोड़ती है। इस संबंध में सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला उपकरण, वार्षिक बजट के साथ-साथ आउटकम बजट विवरण का प्रकाशन रहा है। उत्तराखंड में, आउटकम बजट की तैयारी 2017-18 में शुरू की गई थी। ये आउटकम बजट विवरण विभागवार सैक्टर/योजना/कार्यक्रम का नाम, योजनाओं का उद्देश्य, एसडीजी लक्ष्य, वर्तमान भौतिक स्थिति, अनुमानित भौतिक स्थिति, अनुमानित निष्कर्ष और अनुमानित परिणाम और समय-सीमा को दर्शाते हैं। 2023-24 के दौरान, 36 विभागों ने आउटकम बजट की सूचना दी थी।

3.2.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य के साथ-साथ आगे इसके मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशकृत तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)*	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
66,261.66	22,466.54	53,087.65	28,522.06	(-)13,174.01	(+)6,055.53

स्रोत: विनियोग लेख। * चार्ट 3.1 की तुलना में बचत में 0.01 का अंतर पूर्णांकित करने के कारण है।

3.2.3 भारत एवं मतदेय वितरण

2019-20 से 2023-24 तक कुल वितरण का भारत एवं मतदेय में विभाजन तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3: वर्ष 2019-20 से 2023-24 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-)8,395.33	(+)5,170.72
2020-21	38,726.01	13,274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65
2022-23	46,779.83	13,813.07	(-)10,030.65	(-)388.37
2023-24	53,087.65	28,522.06	(-)13,174.01	(+)6,055.53

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका-3.3 से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान मतदेय मद में निरंतर बचत और 2019-20, 2020-21 और 2023-24 के दौरान भारत मद में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, विगत दो वर्षों 2021-22 से 2022-23 के दौरान भारत मद में बचत हुई है।

3.2.4 बजटीय सटीकता

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का परिणाम/ वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, जो कि अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में हैं।

तालिका-3.4: बजट अनुमानों के सापेक्ष कुल बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट अनुमोदित (बी ई)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान* के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	52,747.71	47,273.96	(-) 5,473.75
पूँजीगत	24,659.38	34,335.76	(+) 9,676.38
योग	77,407.09	81,609.72	(+) 4,202.63

*मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.38 प्रतिशत था। यह 20 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (+) 39.24 प्रतिशत था। यह एक अनुदान में 0 प्रतिशत के बराबर, 15 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, छः अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत खंड के दो अनुदानों (अनुदान संख्या 2 और 5) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यद्यपि अनुदान संख्या पाँच में व्यय हुआ था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना की भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका-3.5: बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध व्यय संरचना आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (बी ई)	पुनरीक्षित अनुमान (आर ई)	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	52,747.71	51,585.20	47,273.96	(-)1,162.51	(-) 4,311.24
पूँजीगत	24,659.38	26,302.64	34,335.76	(+)1,643.26	(+)8,033.12
योग	77,407.09	77,887.84	81,609.72	(+)480.75	(+)3,721.88

*मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की अधिकता को (+) के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की कमी को (-) के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.36 प्रतिशत था। यह 25 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+) 30.54 प्रतिशत था। यह विचलन 18 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर एवं अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत वर्ग के दो अनुदानों (अनुदान संख्या 2 और 8) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु मतदेय अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों मतदेय एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, संबन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं होगा। बिना पुनर्वियोजन, पूरक अंशदान या विनियोजन अथवा राज्य की आकस्मिक निधि के अग्रिम प्राप्त किए बिना नई योजना पर व्यय एक योजना/सेवा पर नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि राज्य के आकस्मिक निधि से पुनर्विनियोजन, पूरक अनुदान या विनियोजन या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के बाद। यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान ऐसी कोई योजना नहीं थी जिस पर बजट प्रावधानों के बिना व्यय किया गया हो।

3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमत

व्यय और प्राप्तियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 202 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में

उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) कहा जाता है, राज्य विधायिका के दोनों सदनों में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘मतदेय’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि **अध्याय-2** में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करता है। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति		
1.	04, 2014	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	0.70	वृहद कार्यों एवं भूमि क्रय पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।		
2.	13, 2217		61.96			
	उप-योग		62.66			
3	11, 4202	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	28.57	सहायता अनुदानों पर व्यय जो पूंजीगत व्यय से पूरा किया गया।		
4	13, 4215		12.94			
5	13, 4217		1.77			
6	17 एवं 29, 4401		29.82			
7	28, 4405		4.18			
8	27, 4406		4.00			
9	19, 4515		350.00			
10	21, 4801		65.00			
11	21, 4810		66.83			
12	23, 4859		40.46			
13	24, 5055		2.00			
14	26, 5452		0.25			
	उप-योग				605.82	

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 62.66 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इस व्यय को पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहत कार्यों और भूमि खरीद से संबंधित था। इसी प्रकार, पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत ₹ 605.82 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबंधित था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता।
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं।
- प्रावधानों का न लिया जाना।

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करनी होगी। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था पैदा करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए तर्कसंगत है। हालाँकि,

ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास और प्रावधान नहीं किया जा सकता था। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान कुल विनियोग ₹ 88,728.20 करोड़ के सापेक्ष ₹ 7,118.49 करोड़ (8.02 प्रतिशत) की बचत हुई।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.7 में दिखाया गया है:

तालिका-3.7: ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (मतदेय)					
1.	04-न्यायिक प्रशासन	444.58	12.48	318.74	138.32
2.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,022.21	374.48
3.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	12,548.17	209.03	11,436.30	1,320.90
4.	10- पुलिस एवं जेल	2,495.73	36.02	2,347.38	184.37
5.	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	9,905.12	243.22	9,514.13	634.21
6.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	3,506.45	860.61
7.	15-कल्याण योजनाएं	2,659.27	153.50	2,439.29	373.48
8.	18- सहकारिता	144.18	32.72	110.15	66.75
9.	19-ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,190.52	601.63
10.	22- लोक निर्माण	1,432.23	300.00	1,365.61	366.62
11.	23-उद्योग	404.89	61.20	353.33	112.76
12.	25-खाद्य	278.12	289.43	200.29	367.26
13.	27-वन	1,010.86	122.02	745.40	387.48
14.	28- पशुपालन	552.19	24.40	498.57	78.02
15.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,195.23	596.77

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
16.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	307.11	195.19
योग		41,292.42	2,917.14	37,550.71	6,658.85
राजस्व (भारित)					
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.23	19.05	72.46	49.82
2	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	6,390.40	72.96	5,302.91	1,160.45
योग		6,493.63	92.01	5,375.37	1,210.27
पूंजीगत (मतदेय)					
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	1,754.80	701.14	2,241.78	214.16
2	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	554.43	138.10	459.05	233.48
3	19-ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,191.56	659.88
4	21- ऊर्जा	1,215.60	50.00	730.59	535.01
5	22- लोक निर्माण	1,348.30	256.51	1,299.50	305.31
6	24-परिवहन	274.00	12.00	164.67	121.33
योग		6,981.63	1,174.69	6,087.15	2,069.17
सकल योग		54,767.68	4,183.84	49,013.23	9,938.29



बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए, जिनका विस्तृत विवरण नीचे तालिका-3.7(क) में हैं:

तालिका-3.7(क): उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 तक	समर्पण के बाद बचत
4	भूमि खरीद एवं बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम आदि।	103.23	19.05	0.00	122.28	72.46	49.82	41.94	7.88
7	जी-20 सम्मेलन	30.00	10.00	0.00	40.00	15.69	24.31	12.70	11.61
7	सम्पदा विभाग	106.98	15.31	0.00	122.29	92.57	29.72	15.77	13.95
7	राज्य वित्त आयोग	1,924.34	156.99	0.00	2,081.33	1,808.08	273.25	0.00	273.25
7	जी-20 सम्मेलन	70.00	30.00	-30.00	70.00	34.21	35.79	21.43	14.36
11	समग्र शिक्षा	192.59	68.28	0.00	260.87	155.76	105.11	0.00	105.11
11	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित (विद्यालय और हॉस्टल का निर्माण)	45.00	20.00	0.00	65.00	41.92	23.08	0.00	23.08
12	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना	528.14	26.94	-8.90	546.18	437.51	108.67	103.78	4.89
13	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (90% केंद्रीय प्रायोजित योजना)	60.00	13.37	0.00	73.37	43.32	30.05	0.00	30.05
13	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित (पार्किंग का निर्माण (आर आई डी एफ/ यू आई डी एफ द्वारा वित्तपोषित))	0.10	135.26	0.00	135.36	0.00	135.36	0.00	135.36
19	मनरेगा और उत्तराखंड सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी	302.00	41.49	0.00	343.49	136.07	207.42	0.00	207.42
30	समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना 90%	55.03	30.97	0.00	86.00	49.43	36.57	0.00	36.57

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 तक	समर्पण के बाद बचत
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिक भुगतान	50.00	41.00	-46.92	44.08	0.00	44.08	0.00	44.08
31	आरसीएच फ्लेक्सिपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.71
31	जारी निर्माण कार्य	28.50	15.00	-15.00	28.50	10.65	17.85	1.85	16.00
	योग	3,495.91	649.37	-100.82	4,044.46	2,897.67	1,146.79	197.47	949.32

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान इन योजनाओं में कुल विनियोग ₹ 4,044.46 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,146.79 करोड़ (28.35 प्रतिशत) की बचत हुई। मूल विनियोजन ₹ 3,495.91 करोड़ के सापेक्ष ₹ 598.24 करोड़ की पहले से ही बचत थी इसलिए ₹ 649.37 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,146.79 करोड़ की बचत ₹ 649.37 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

पाँच प्रकरण ऐसे थे जहां पुनर्विनियोग ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक था और अंतिम बचत ₹ पांच करोड़ या पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, जैसा कि तालिका-3.8 में दर्शायी गई है:

तालिका-3.8: अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	समर्पण 31-03-2024 तक	समर्पण के बाद अवशेष
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग				
1	12- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना	136.88	7.00	5.00	148.88	124.75	24.13	20.64	3.49
2	13- जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास 051- निर्माण 01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	305.00	0.00	10.49	315.49	118.48	197.01	0.00	197.01
3	13- जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 02- बुनियादी सुविधाओं का विकास	100.00	50.00	40.00	190.00	151.13	38.87	1.51	37.36
4	22- लोक निर्माण 3054- सड़कें और पुल 04- जिला और अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 03- रख-रखाव और मरम्मत	508.00	100.00	55.75	663.75	620.52	43.23	42.42	0.81
5	30- अनुसूचित जाति का कल्याण 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	253.64	20.51	6.84	280.99	210.58	70.41	0.00	70.41

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार राज्य सरकार ने अनुदान के भीतर ₹ 2,230.78 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 31.04 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दो कार्य दिवसों (30 और 31 मार्च 2024) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन पाँच प्रकरणों में (₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत का कोई पुनर्विनियोजन का मामला प्रकाश में नहीं आया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार निष्कर्षों से सहमत थी।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रूप से समय पर समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, तथा व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.9 में दिया गया है

तालिका-3.9: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 को	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (मतदेय)									
1	04, न्यायिक प्रशासन	444.58	12.48	457.06	318.74	138.32	30.26	120.36	17.96
2	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,396.69	2,022.22	374.47	15.62	41.02	333.45
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	12,548.17	209.03	12,757.20	11,436.30	1,320.90	10.35	175.77	1,145.13
4	10 पुलिस व जेल	2,495.73	36.02	2,531.75	2,347.38	184.37	7.28	150.65	33.72
5	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	9,905.12	243.22	10,148.34	9,514.13	634.21	6.25	450.32	183.89
6	12 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	19.71	216.00	644.61
7	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,127.53	256.59	1,384.12	1,188.96	195.16	14.10	16.25	178.91
8	15 कल्याण योजनाएं	2,659.27	153.50	2,812.77	2,439.30	373.47	13.28	83.31	290.16
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,216.57	6.03	1,222.60	806.10	416.50	34.07	41.54	374.96
10	19 ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,792.15	1,190.52	601.63	33.57	88.84	512.79
11	22 लोक निर्माण कार्य	1,432.23	300.00	1,732.23	1,365.61	366.62	21.16	190.74	175.88
12	23 उद्योग	404.89	61.20	466.09	353.33	112.76	24.19	10.44	102.32
13	25 खाद्य	278.12	289.43	567.55	200.29	367.26	64.71	4.91	362.35
14	27 वन	1,010.86	122.02	1,132.88	745.40	387.48	34.20	211.99	175.49
15	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,792.00	1,195.23	596.77	33.30	22.14	574.63
16	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	502.30	307.11	195.19	38.86	17.69	177.50
योग		42,940.15	3,122.64	46,062.79	38,937.07	7,125.72	15.47	1,841.97	5,283.75

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 को	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (भारित)									
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,390.40	72.96	6,463.36	5,302.91	1,160.45	17.95	3.54	1,156.91
	योग	6,390.40	72.96	6,463.36	5,302.91	1,160.45	17.95	3.54	1,156.91
पूँजीगत (मतदेय)									
1	04, न्यायिक प्रशासन	172.00	0.00	172.00	19.08	152.92	88.91	0.00	152.92
2	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,109.60	2.16	1,111.76	109.46	1,002.30	90.15	2.46	999.84
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,754.80	701.14	2,455.94	2,241.78	214.16	8.72	73.60	140.56
4	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	554.43	138.10	692.53	459.05	233.48	33.71	0.00	233.48
5	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,398.16	1,320.75	2,718.91	1,605.53	1,113.38	40.95	1.51	1,111.87
6	15 कल्याण योजनाएं	190.97	120.85	311.82	191.63	120.19	38.54	12.77	107.42
7	18 सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	96.06	100.00	95.00
8	19 ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,851.44	1,191.56	659.88	35.64	0.00	659.88
9	20 सिंचाई एवं बाढ़	853.07	8.50	861.57	604.55	257.02	29.83	11.04	245.98
10	21 ऊर्जा	1,215.60	50.00	1,265.60	730.59	535.01	42.27	0.00	535.01
11	22 लोक निर्माण कार्य	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	19.02	52.17	253.14
12	24 परिवहन	274.00	12.00	286.00	164.67	121.33	42.42	0.00	121.33
13	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	410.04	261.19	671.23	501.90	169.33	25.23	4.15	165.18
	योग	11,315.47	2,891.14	14,206.61	9,127.30	5,079.31	35.75	257.70	4,821.61
	कुल योग	60,646.02	6,086.74	66,732.76	53,367.28	13,365.48	20.03	2,103.21	11,262.27

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 20 अनुदानों के अंतर्गत 30 प्रकरणों में ₹ 6,086.74 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष पहले से ₹ 7,278.74 करोड़ (12.00 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने 18 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 2,103.21 करोड़ का समर्पण भी किया। बचत के कारण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गए।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2023-24 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2023-24 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं नाम	2019-20 (प्रतिशत)	2020-21 (प्रतिशत)	2021-22 (प्रतिशत)	2022-23 (प्रतिशत)	2023-24 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2023-24 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का कुल बजट (₹ करोड़ में)
1	01 विधायिका (पूँजीगत मतदेय)	76.93	17.29	15.00	8.33	24.02	4	7.50	58.70
2	04 न्यायिक प्रशासन (पूँजीगत मतदेय)	44.15	47.68	25.37	60.53	11.09	4	172.00	497.15
3	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूँजीगत मतदेय)	48.24	50.22	92.49	85.37	9.85	2	1,111.76	2,550.47
4	08 आबकारी (राजस्व मतदेय)	85.71	83.44	80.84	84.54	41.98	1	81.76	219.76
5	09 लोक सेवा आयोग (पूँजीगत मतदेय)	100.00	17.42	0.00	20.30	29.37	4	2.60	16.88
6	14 सूचना (पूँजीगत मतदेय)	2.79	0.00	52.78	0.00	0.00	4	1.00	4.13
7	18 सहकारिता (पूँजीगत मतदेय)	99.98	0.00	0.00	83.91	3.94	3	203.00	570.00
8	20 सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व भारित)	कोई बजट आवंटित नहीं किया गया, इसलिए कोई उपयोग नहीं हुआ			13.87	15.03	2	3.00	6.00
9	25 खाद्य (राजस्व मतदेय)	21.51	41.29	63.01	68.91	35.29	3	567.55	1,443.16
10	29 बागवानी विकास (पूँजीगत मतदेय)	74.04	119.26	76.12	43.28	38.65	2	236.40	317.29

जैसा कि उपर्युक्त तालिका-3.10 में वर्णित है, 10 अनुदानों में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। आगे विश्लेषण से पता चला कि चार विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

3.5.2 ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.11 में दिया गया है।

तालिका-3.11: 31 मार्च 2024 तक ₹ 10 करोड़ व अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि
राजस्व (मतदेय)							
1	01- विधायिका	85.40	0.00	85.40	63.05	22.35	20.30
2	04-न्यायिक प्रशासन	444.57	12.49	457.06	318.74	138.32	120.36
3	05-चुनाव	81.71	4.30	86.01	65.81	20.20	10.42
4	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,396.69	2,022.22	374.47	41.02
5	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	12,548.17	209.03	12,757.20	11,436.30	1,320.90	175.77
6	10-पुलिस एवं जेल	2,495.73	36.02	2,531.75	2,347.38	184.37	150.65
7	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति	9,905.12	243.22	10,148.34	9,514.13	634.21	450.32
8	12-चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	216.00
9	13-जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,127.53	256.59	1,384.12	1,188.96	195.16	16.25
10	15-कल्याणकारी योजनाएँ	2,659.27	153.50	2,812.77	2,439.30	373.47	83.32
11	16-श्रम एवं रोजगार	475.86	82.46	558.32	523.76	34.56	20.34
12	17-फसल पालन एवं अनुसंधान	1,216.57	6.03	1,222.60	806.10	416.50	41.54

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि
13	18-सहकारिता	144.18	32.72	176.90	110.15	66.75	44.98
14	19-ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,792.15	1,190.52	601.63	88.84
15	20-सिंचाई एवं बाढ़	587.35	5.50	592.85	520.52	72.33	64.55
16	22-लोक निर्माण	1,432.23	300.00	1,732.23	1,365.61	366.62	190.74
17	23-उद्योग	404.89	61.20	466.09	353.33	112.76	10.44
18	27-वन	1,010.86	122.02	1,132.88	745.40	387.48	211.99
19	28-पशुपालन	552.18	24.40	576.58	498.57	78.01	24.33
20	29-बागवानी विकास	580.96	8.41	589.37	354.60	234.77	50.62
21	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,792.00	1,195.23	596.77	22.14
22	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	502.30	307.11	195.19	17.69
योग		45,169.66	2,991.01	48,160.67	40,873.24	7,287.43	2,072.61
राजस्व (भारित)							
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.23	19.05	122.28	72.46	49.82	41.94
योग		103.23	19.05	122.28	72.46	49.82	41.94
पूँजीगत (मतदेय)							
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	1,754.80	701.14	2,455.94	2,241.78	214.16	73.60
2	15-कल्याणकारी योजनाएँ	190.97	120.85	311.82	191.63	120.19	12.77
3	18-सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	100.00
4	20-सिंचाई एवं बाढ़	853.07	8.50	861.57	604.55	257.02	11.04
5	22-लोक निर्माण कार्य	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	52.17
योग		4,347.14	1,090.00	5,437.14	4,345.46	1,091.68	249.58
कुल योग		49,620.03	4,100.06	53,720.09	45,291.16	8,428.93	2,364.13

स्रोत: विनियोग लेखे


वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 2,477.40 करोड़ की धनराशि का समर्पण किया। ₹ 2477.40 करोड़ के इस समर्पण में से ₹ 40.00 करोड़ का समर्पण अनुदान संख्या 23-उद्योगों में शामिल नहीं किया गया था, इसका कारण यह था कि

₹ 40.00 करोड़ का समर्पण मूल और अनुपूरक बजट ₹ 39.58 करोड़ से अधिक था। मामला लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जांच की जाएगी।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण




जैसा उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 11 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 12 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 प्रतिशत के मध्य, दो अनुदानों/ विनियोगों में उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम, पाँच अनुदानों/ विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 90 से 100 प्रतिशत के मध्य था और एक अनुदान/ विनियोग यथा 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ में उपयोग बजट आवंटन के 100 प्रतिशत से ऊपर था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 7,118.00 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों ने समर्पण के लिए ₹ 2,477.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹2,477.00 करोड़ की धनराशि समर्पित की गई (31 मार्च 2024)।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और अनूपूरक) और इसका उपयोग (प्रतिशतता) नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट आवंटन और उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमतीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ख) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धन उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु दी गयी अनुदान राशि के आधिक्य में व्यय किया जाता है, तो राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमतीकरण करे।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमतीकरण लोक लेखा समिति के विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधायिका द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2023-24 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: 2023-24 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

	विभाग/अनुदान का नाम
	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध
पूँजीगत भारित	7,302.10
कुल आधिक्य	7,302.10

स्रोत: विनियोग लेख।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसा यह अनुदान के लिए मांग है। 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार

वितरण का विवरण तालिका-3.13 में दिया गया है।

तालिका-3.13: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	7	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2,422.00	193.01	2,615.01	2,656.46	41.45	विभाग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराया गया
2	7	2049	ब्याज भुगतान	1,597.00	62.96	1,659.96	1,878.88	218.92	
3	7	4059	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	0.00	3.00	3.09	0.09	
4	7	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	12,250.00	0.00	12,250.00	19,700.67	7,450.67	
5	7	6004	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	10.00	0.00	10.00	16.32	6.32	
6	11	2202	सामान्य शिक्षा	352.95	0.00	352.95	827.57	474.62	
7	13	2217	शहरी विकास	6.42	0.00	6.42	6.62	0.20	
8	31	2235	सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण	12.20	0.00	12.20	13.29	1.09	
योग								8,193.36	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

3.6.3 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ-साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक

अनुदान में निरंतर आधिक्य प्रदर्शित हुआ जिसे नीचे तालिका-3.14 में दिया गया है:

तालिका-3.14: 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक अनुदान में देखी गयी अधिकता का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध (पूँजीगत भारत)						
1	कुल अनुदान	2,876.31	3,503.31	अधिकता नहीं हैं	7,578.24	15,727.63
2	व्यय	9,096.03	8,269.59		8,474.77	23,029.73
3	कुल आधिक्य	6,219.72	4,766.28		896.53	7,302.10
4	डब्लू एम ए के अंतर्गत आधिक्य	5,865.36	4,561.42		1,195.47	7,419.65

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ में 2019-20 से 2020-21 और 2022-23 से 2023-24 की अवधि में निरंतर अधिकता देखी गयी थी। यह देखा गया कि यह निरंतर व्यय की अधिकता इन वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों में आधिक्य के बड़े हिस्से के कारण हुई। सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया है।

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोग खाते के माध्यम से अधिक किसी भी अनुदान या भारत विनियोग के अंतर्गत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, विगत वर्षों 2005-06 से 2022-23 तक से संबन्धित ₹ 48,654.69 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष था। ₹ 48,654.69 करोड़ में से, ₹ 28,618.93 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है और ₹ 19,041.88 करोड़ अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है। अनुदान संख्या 7 (वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ) के अंतर्गत अर्थोपाय अग्रिम में अतिरिक्त व्यय, बजट अनुमान से अधिक अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण था। इसके अलावा, अनुदान संख्या 17 (कृषि कार्य और अनुसंधान), अनुदान संख्या 25 (खाद्य) और अनुदान संख्या 29 (बागवानी विकास) के अंतर्गत परिलक्षित अतिरिक्त व्यय इस तथ्य के कारण था कि बजट अनुमान वसूली घटाने के बाद तैयार किए गए थे (बजट अनुमान सकल आधार के बजाय शुद्ध आधार पर तैयार किए गए थे)।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि वित्त विभाग उचित कार्रवाई करेगा। हालांकि, यह लोक लेखा समिति/राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना है।

नियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण तालिका-3.15, तालिका 3.15(क) और तालिका 3.15(ख) में दिया गया है।

तालिका-3.15: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	07	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	06	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	06	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	06	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	07	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	09	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	05	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	07	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	03	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	04	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	04	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	04	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	06	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	03	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	03	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	06	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
2021-22	--	---	0.00	
2022-23	01	7	896.53	
योग			48,654.69	

स्रोत: विनियोग लेखे।

तालिका-3.15 (क): अनुदान संख्या 17, 25 एवं 29 के अंतर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	03	17, 25 एवं 29	492.66	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	02	17, एवं 25	408.31	
2007-08	03	17, 25 एवं 29	386.78	
2008-09	03	17, 25 एवं 29	580.44	
2009-10	03	17, 25 एवं 29	931.04	
2010-11	03	17, 25 एवं 29	1,240.96	
2011-12	03	17, 25 एवं 29	1,306.09	
2012-13	03	17, 25 एवं 29	1,828.36	

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2013-14	02	25 एवं 29	1,780.56	
2014-15	03	17, 25 एवं 29	1,763.02	
2015-16	03	17, 25 एवं 29	2,218.20	
2016-17	03	17, 25 एवं 29	2,270.88	
2017-18	02	17, एवं 25	1,326.11	
2018-19	01	25	1,414.04	
2019-20	02	17, एवं 25	994.76	
2020-21	03	17,25 एवं 29	99.67	
2021-22	-	-	-	
2022-23	-	-	-	
2023-24	-	-	-	
योग			19,041.88	

तालिका-3.15 (ख): डब्लू एम ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य की धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य की धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	07	376.14	अभी तक नियमित नहीं
2007-08	07	311.94	
2008-09	07	475.86	
2009-10	07	199.81	
2010-11	07	5.87	
2011-12	07	431.17	
2016-17	07	3,291.28	
2017-18	07	5,130.91	
2018-19	07	7,072.64	
2019-20	07	5,865.36	
2020-21	07	4,561.42	
2021-22	-	0.00	
2022-23	07	896.53	
2023-24	-	-	
योग		28,618.93	

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। अतः यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून के माध्यम से किए गए विनियोग को छोड़कर समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

सरकार के लिए दीर्घकालिक योजना और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह राजकोषीय प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से व्याधिक्य ध्यान देना आवश्यक है।

3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह पाया गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	46.00	80.00	26.00	0.00	66.83
कुल पूंजीगत व्यय	5,414.00	6,538.00	7,533.00	8,195.00	10,981.80
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश (प्रतिशत में)	0.86	1.22	0.35	0.00	0.61
सहायता अनुदान से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने से, राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 2,182	(+)1,034	(+)4,102	(+)5,310	(+)3,274.22

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार ने 2019-20 से 2021-22 और 2023-24 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया और वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया। हालाँकि, 2022-23 के दौरान किसी भी सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी: एकमुश्त बजट प्रावधान

बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय-5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि, एक नियम के रूप में, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए एकमुश्त अनुदान, जिला योजना इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त राशि जैसी योजनाओं के लिए 2023-24 के दौरान ₹ 981.09 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 24 वस्तु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद वस्तु शीर्ष "अन्य विभागीय व्यय" के अंतर्गत ₹ 2,923.43 करोड़ का व्यय किया।

3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर किया गया बजटीय आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.17 में दी गई है।

तालिका-3.17: 2023-24 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान समर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
मतदेय	I. राजस्व	46,100.92	3,438.80	49,539.72	41,781.63	(-)7,758.09	0	0
	II. पूंजीगत	13,133.79	3,290.21	16,424.00	11,181.93	(-)5,242.07		
	III. ऋण एवं अग्रिम	297.95	0.00	297.95	124.09	(-)173.86		
	कुल	59,532.66	6,729.01	66,261.67	53,087.65	13,174.02		
भारत	IV. राजस्व	6,646.79	92.11	6,738.90	5,492.33	(-)1,246.57	0	0
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	11,227.63	4,500.00	15,727.63	23,029.73	(+)7,302.10		
	कुल	17,874.42	4,592.11	22,466.53	28,522.06	(+)6,055.53		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
कुल योग	77,407.08	11,321.12	88,728.20	81,609.71	(-)7,118.49			

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 7,118.49, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 14,420.59 करोड़ की बचत का ₹ 7302.10 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31 मार्च 2024 को 31 अनुदानों/ विनियोगों में ₹ 2,477.40 करोड़ का समर्पण किया गया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है।

तालिका-3.18: 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)


	2019-20	2020-21	2021- 22	2022-23	2023-24
मूल बजट	48,663.90	53,526.97	57,937.83	65,571.49	77,407.08
अनुपूरक बजट	2,533.90	4,063.79	7,074.57	5,440.43	11,321.12
कुल बजट (टी बी)	51,197.80	57,590.76	65,012.40	71,011.92	88,728.20
पुनरीक्षित आकलन (आर ई)	45,081.50	51,343.15	53,130.62	67,753.65	77,887.84
वास्तविक व्यय (ए ई)	47,973.19	52,000.11	50,694.35	60,592.90	81,609.71

	2019-20	2020-21	2021- 22	2022-23	2023-24
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(-)3,224.61	(-)5, 590.65	(-)14318.05	(-)10,419.02	(-)7,118.49
मूल प्रविधान में अनुपूरक की प्रतिशतता	5.21	7.59	12.21	8.30	14.63
मूल प्रविधान में सम्पूर्ण बचत / आधिक्य की प्रतिशतता	6.30	9.71	22.02	14.67	8.02
कुल बजट - पुनरीक्षित आकलन	6,116.30	6,247.61	11,881.78	3,258.27	10,840.36
पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय	(+)2,891.69	(+)656.96	(-)2,436.27	(-)7,160.75	(+)3,721.87
कुल बजट से (कुल बजट- पुनरीक्षित आकलन) का प्रतिशत	11.95	10.85	18.28	4.59	12.22
कुल बजट से (पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय) का प्रतिशत	(+) 5.65	(+)1.14	(-)3.75	(-)10.08	(+)4.19

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखे।

तालिका-3.18 प्रदर्शित करती है कि 2023-24 के दौरान ₹ 11,321.12 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 14.63 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष में यह 8.30 प्रतिशत था।

चार्ट-3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आकड़ों का विवरण



उपर्युक्त तालिका-3.18 से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2019-20 से 2021-22


के दौरान यह 11.95 प्रतिशत से बढ़ कर 18.28 प्रतिशत हो गया था, हालांकि वर्ष 2022-23 में यह घटकर 4.59 प्रतिशत हो गया, जो बड़ी/छोटी अनुमान त्रुटि को दर्शाता है। चालू वर्ष 2023-24 में यह फिर से बढ़ कर 12.22 प्रतिशत हो गया है।

आगे, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय की प्रतिशतता पुनरीक्षित अनुमान से अधिक थी और यह क्रमशः 5.65 प्रतिशत और 1.14 प्रतिशत था। आगे, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय की प्रतिशतता पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः 3.75 प्रतिशत और 10.08 प्रतिशत कमी थी और 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय की प्रतिशतता पुनरीक्षित अनुमान से 4.19 प्रतिशत अधिक थी। ऐसे में वर्ष 2023-24 में अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे, और पिछले चार वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.7 में दिया गया है:

चार्ट-3.7: विनियोग लेखा में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत 1,114 विस्तृत शीर्षों में व्यय दर्ज किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,114 विस्तृत शीर्षों में से 916 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। इन 916 विस्तृत शीर्षों में से केवल 204

विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था। जबकि, 712 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण की और आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 1,114 विस्तृत शीर्षों में से 198 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 प्रतिशत से कम थी।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कभी-कभी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों को, बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी वक्त कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से बहुत सारी नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.19 में दिया गया है।

तालिका-3.19: पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	समर्पण 31 मार्च 2024 तक
पूँजीगत (मतदेय)							
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,109.60	2.16	1,111.76	109.46	1,002.30	2.46
2	11- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	554.43	138.10	692.53	459.05	233.48	-
3	16- श्रम एवं रोजगार	77.00	7.00	84.00	72.16	11.84	-
4	18- सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	100.00
5	19- ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,851.44	1,191.56	659.88	-
6	21- ऊर्जा	1,215.60	50.00	1,265.60	730.59	535.01	-
7	22- लोक निर्माण	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	52.17
8	24- परिवहन	274.00	12.00	286.00	164.67	121.33	-

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	समर्पण 31 मार्च 2024 तक
9	27- वन	70.73	3.98	74.71	58.67	16.04	9.59
10	29- बागवानी विकास	232.40	4.00	236.40	91.38	145.02	-
योग		6,916.56	493.69	7,410.25	4,185.04	3,225.21	164.22

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 3,225.21 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था। उपर्युक्त दस अनुदानों में पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत ₹ 3,225.21 करोड़ की कुल अप्रयुक्त निधि में से, वर्ष 2023-24 के दौरान केवल ₹ 164.22 करोड़ का समर्पण किया गया था।

3.10 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। मूल बजट में परिकल्पित अनुदानों और योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,230.78 करोड़ तक का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में और इसके विपरीत एवं मतदेय से भारित में और इसके विपरीत पुनर्विनियोजन का कोई मामला सामने नहीं आया। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण सामने नहीं आया।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहल के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निष्पादित नहीं की जा सकी। यह लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित करता है।

यह देखा गया है कि सात अनुदानों के अन्तर्गत दस योजनाओं (प्रत्येक योजना में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत ₹ 388.93 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि नीचे तालिका-3.20 में दिखाया गया है।

तालिका-3.20: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन या तो प्रावधान वापस ले लिया गया या कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल + अनुपूरक)	संशोधित परिव्यय (पुनर्विनियोजन के बाद)
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बाजार ऋण	300.00	300.00
2	11- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों और हॉस्टलों का निर्माण/सुदृढीकरण (90% केंद्रीय सहायतित योजना)	10.59	7.83
3	13- जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	के एफ डब्ल्यू योजना	10.00	5.00
		हरिद्वार को एक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करना	27.00	2.00
		ग्रीन सिटी/ब्राउन सिटी का निर्माण	10.00	1.00
		यूनिटी मॉल/प्लाजा का निर्माण	50.10	0.10
4	17- फसल पालन एवं अनुसंधान	एकीकृत कृषि गांव योजना	12.00	5.00
5	21- ऊर्जा	सरकारी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश (बाहरी सहायता प्राप्त योजना)	163.44	35.00
6	24- परिवहन	हेलीकॉप्टर/विमान की खरीद	50.00	28.00
7	29- बागवानी विकास	बागवानी विकास की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	40.00	5.00
योग			673.13	388.93

स्रोत: बजट दस्तावेज़ 2023-24 एवं 2024-25।

इसके अतिरिक्त, आठ योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 180.00 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय था जिसे संशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया था जैसा कि तालिका-3.21 में नीचे दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

तालिका-3.21: योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ पांच करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वापसी का कारण
1	01- विधायिका	गैरसेशन में ग्रीष्मकाल के दौरान विधानसभा का निर्माण	5.00	योजना के अंतर्गत बचत
2	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और	योजनाओं से प्राप्त निधियों से आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास	50.00	प्रमुख कार्यों में बचत
3	विविध सेवाएँ	जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण	65.00	प्रमुख कार्यों में बचत

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वापसी का कारण
4		सचिव/अतिरिक्त सचिव स्तर के आवासीय भवन का निर्माण	6.00	योजना के अंतर्गत बचत
5		रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह का निर्माण	20.00	प्रमुख कार्यों में बचत और योजना के अंतर्गत बचत
6		सचिवालय परिसर में गैर-आवासीय भवन का विध्वंस/नवीनीकरण	5.00	योजना के अंतर्गत बचत के कारण
7	19- ग्रामीण विकास	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	5.00	योजना के अंतर्गत बचत के कारण
8	24-परिवहन	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित	24.00	प्रमुख कार्यों में बचत के कारण
योग			180.00	

3.12 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान गति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2023-24 के लिए नौ मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2024 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका-3.22 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.22: मुख्य शीर्ष, जहां केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया था (प्रतिशतता में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में मार्च में व्यय
1	2030	स्टांप और पंजीकरण	2.70	3.18	3.95	21.58	31.41	18.57	59.12
2	2216	आवास	0.00	0.23	0.91	8.56	9.70	7.82	80.62
3	4059	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	302.31	358.92	233.24	1,402.39	2,296.86	1,186.99	51.68
4	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की कल्याण के लिए पूंजीगत परिव्यय	2.95	4.47	7.77	79.86	95.05	64.71	68.08
5	4401	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	-3.49	30.06	16.05	91.85	134.47	86.39	64.24
6	4406	वानिकी और वन्यजीवों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	12.97	8.70	41.48	63.15	37.37	59.18

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में मार्च में व्यय
7	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (1)	4.57	48.07	12.25	286.36	351.25	250.61	71.35
8	4810	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	66.83	66.83	66.83	100
9	4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	40.46	40.46	40.46	100
योग			309.04	457.90	282.87	2,039.37	3,089.18	1,759.75	56.96

मासिक व्यय की गति में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि नौ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में 66.02 प्रतिशत का व्यय किया गया था, जबकि मार्च 2024 के महीने में 56.96 प्रतिशत का व्यय किया गया था।

सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-3.23: वर्ष 2023-24 के दौरान सभी अनुदानों में सभी मुख्य शीर्षों के लिए तिमाही वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	विधायिका	95.94	15.75	17.81	15.15	18.21	6.65	66.92	27.21	9.94
2	राज्यपाल	16.22	2.63	3.85	3.43	4.18	0.85	14.09	29.67	6.03
3	मंत्रालय परिषद	124.73	9.28	24.62	17.51	49.88	30.51	101.29	49.24	30.12
4	न्यायिक प्रशासन	751.35	97.59	83.48	65.63	163.58	88.03	410.28	39.87	21.46
5	चुनाव	86.52	5.08	16.93	7.58	36.61	19.01	66.20	55.30	28.72
6	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	3,512.15	402.75	273.90	380.51	1,076.56	926.12	2,133.72	50.45	43.40
7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	37,404.13	5,515.23	9,460.80	9,952.47	16,950.52	8,321.85	41,879.02	40.47	19.87

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
8	आबकारी	83.76	8.67	8.80	8.44	10.42	5.55	36.33	28.68	15.28
9	लोक सेवा आयोग	134.13	41.67	15.87	17.75	29.11	13.35	104.40	27.88	12.79
10	पुलिस एवं जेल	2,627.90	565.78	639.13	476.78	761.76	300.29	2,443.45	31.18	12.29
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	10,840.87	2,254.01	2,463.24	2,186.19	3,069.74	1,063.07	9,973.18	30.78	10.66
12	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	5,042.66	573.37	1,439.93	849.49	1,306.82	451.05	4,169.61	31.34	10.82
13	जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,103.03	586.06	867.67	293.93	1,046.83	408.39	2,794.49	37.46	14.61
14	सूचना	273.42	47.83	53.64	125.54	32.11	16.84	259.12	12.39	6.50
15	कल्याणकारी योजनाएँ	3,124.60	564.48	536.37	470.70	1,059.37	453.39	2,630.92	40.27	17.23
16	श्रम एवं रोजगार	642.33	123.02	164.80	104.66	203.44	78.59	595.92	34.14	13.19
17	फसलीकरण एवं अनुसंधान	1,312.64	253.06	217.71	125.69	259.50	154.54	855.96	30.32	18.05
18	सहकारिता	379.91	9.77	57.59	18.31	32.49	24.83	118.16	27.50	21.01
19	ग्रामीण विकास	3,643.59	227.03	776.75	447.51	910.86	701.78	2,362.15	38.56	29.71
20	सिंचाई एवं बाढ़	1,457.42	99.22	230.01	169.28	627.00	413.55	1,125.51	55.71	36.74
21	ऊर्जा	1,301.84	53.00	267.27	16.21	424.73	303.44	761.21	55.80	39.86
22	लोक निर्माण	3,348.34	376.25	539.66	508.54	1,249.74	778.21	2,674.19	46.73	29.10
23	उद्योग	522.51	71.67	37.04	139.45	155.63	95.11	403.79	38.54	23.55
24	परिवहन	477.97	56.45	129.19	44.31	114.97	31.71	344.92	33.33	9.19
25	खाद्य	1,219.55	16.16	558.84	64.92	189.30	158.36	829.22	22.83	19.10
26	पर्यटन	312.05	38.00	71.22	54.98	117.71	47.92	281.91	41.75	17.00
27	वन	1,207.59	131.83	196.81	245.06	230.37	1.25	804.07	28.65	0.16

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
28	पशुपालन	656.34	130.63	156.81	76.43	202.85	103.17	566.72	35.79	18.20
29	बागवानी विकास	828.08	61.48	140.22	73.27	166.08	126.24	441.05	37.66	28.62
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,463.23	221.48	520.48	426.96	528.21	297.41	1,697.13	31.12	17.52
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	733.40	79.59	132.08	96.47	156.51	105.02	464.65	33.68	22.60
योग		88,728.20	12,638.82	20,102.52	17,483.15	31,185.09	15,526.08	81,409.58²		

स्रोत: ले एवं हक्र कार्यालय से प्राप्त वी एल सी डाटा।

उपर्युक्त तालिका से पता चला कि 2023-24 के दौरान 31 अनुदानों में से, चार अनुदानों में कुल व्यय के प्रतिशत का 50 प्रतिशत और उससे अधिक चौथी तिमाही में व्यय किया गया था, जबकि पाँच अनुदानों में कुल व्यय के प्रतिशत का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत चौथी तिमाही में व्यय किया गया था।

31 अनुदानों में से 2023-24 के दौरान 12 अनुदानों में मार्च 2024 में कुल व्यय के प्रतिशतता का 20 प्रतिशत या उससे अधिक का व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिमाहीवार व्यय सीमा की अनुपलब्धता के कारण, तिमाही व्यय के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

3.13 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.13.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 12: चिकित्सा और परिवार कल्याण और 29: बागवानी विकास के अंतर्गत 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 12: चिकित्सा और परिवार कल्याण

चिकित्सा और परिवार कल्याण - उत्तराखण्ड सरकार स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, जिनका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के उद्देश्य, साथ एक सक्षम वातावरण

² इसमें वसूली के लिए ₹ 200.13 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है।

उत्पन्न करने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य निर्धारक तत्वों जैसे पोषण, जल, स्वच्छता और राज्य में शिक्षा और रोजगार जैसे अन्य कारकों को प्रभावित करने हैं, के द्वारा अपने लोगों के स्वास्थ्य स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचना, वंचित वर्गों, दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना है।

क. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय 2020-21 से 2023-24 के बीच पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 17.76 प्रतिशत, 17.90 प्रतिशत, 40.95 प्रतिशत और 0.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा तालिका-3.24 में सारांशित है।

तालिका-3.24: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 2211- परिवार कल्याण	2019-20	2,251.00	51.24	2,302.24	1,782.43	519.81	22.58	
	2020-21	2,271.59	111.83	2,383.42	2,099.04	284.38	11.93	17.76
	2021-22	2,746.31	452.15	3,198.46	2,474.75	723.71	22.63	17.90
	2022-23	3,609.09	422.84	4,031.93	3,488.09	543.84	13.49	40.95
	2023-24	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	19.71	0.53
योग		14,646.24	1,636.87	16,283.11	13,350.76	2,932.35	18.01	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान निरन्तर बचत परिचलित हुई। 2019-20 से 2023-24 के दौरान ₹ 1636.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 14646.24 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 13350.76 करोड़ था, जबकि इन वर्षों में पहले से ही ₹ 1295.48 करोड़ की बचत थी।

विगत तीन वर्षों के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय की नमूना जांच दर्शाती है कि इन वर्षों में व्यय का स्वरूप भिन्न-भिन्न था। ₹ 20 करोड़ से अधिक के परिवर्तन को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.25 में दिया गया है:

तालिका-3.25: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख परिवर्तन की प्रवृत्तियां

क्र.सं.	योजना का नाम ³	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2021-22	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	अस्पताल और डिस्पेंसरी (ई ए डी)	20,000.00	16,283.00	9,450.00	(-)3,717.00	(-)6,833.00	(-)18.59	(-)41.96
2	अस्पताल और डिस्पेंसरी (सी एस एस)	37,300.69	77,266.00	57,316.00	39,965.31	(-)19,950.00	107.14	(-)25.82
3	अस्पताल और डिस्पेंसरी (सी एस एस में राज्य का योगदान)	4,241.06	13,353.74	8,646.58	9,112.68	(-)4,707.16	214.87	(-)35.25
4	एलोपैथी (मेडिकल कॉलेज)	31,257.93	36,610.73	43,751.14	5,352.80	7,140.41	17.12	19.50
5	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (जन स्वास्थ्य)	16,747.87	47,890.04	61,732.00	31,142.17	13,841.96	185.95	28.90
6	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (सी एस एस)	9,405.26	11,952.84	14,741.04	2,547.58	2,788.20	27.09	23.33

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

ख. पूंजीगत व्यय

समग्र पूंजीगत व्यय में विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 के दौरान 77.21 प्रतिशत की वृद्धि, इसके अतिरिक्त, 2021-22 में 81.10 प्रतिशत की वृद्धि, 2022-23 में (-)4.73 प्रतिशत की कमी और 2023-24 में 122.26 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी दी, जैसा तालिका-3.26 में सारांशित है।

तालिका-3.26: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय और मौलिक/अनुपूरक प्रावधान की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2019-20	176.72	11.50	188.22	97.60	90.62	48.15	
	2020-21	205.43	100.00	305.43	172.94	132.49	43.38	77.21
	2021-22	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45	34.84	81.10
	2022-23	385.07	10.00	395.07	298.37	96.70	24.48	-4.73
	2023-24	449.63	225.98	675.61	663.16	12.45	1.84	122.26
योग		1,659.49	385.48	2,044.97	1,545.26	499.72	24.44	

स्रोत: विनियोग लेखें।

³ (2210-01-110-97, 2210-03-110-01, 2210-03-110-95, 2210-05-105-04, 2210-06-101-03, 2211-00-101-01)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि 2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों में निरन्तर बचत हुई। 2019-20 से 2022-23 तक की अवधि में, ₹ 159.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 1,209.86 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 882.10 करोड़ से काफी अधिक था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 225.98 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के 94.49 प्रतिशत का उपयोग किया गया। विगत तीन वर्षों के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय की नमूना जांच दर्शाती है कि इन वर्षों में व्यय के स्वरूप विभिन्न थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक की भिन्नता को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.27 में दिखाया गया है:

तालिका-3.27: अनुदान में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख भिन्नताओं की प्रवृत्तियां

क्र.सं.	योजना का नाम ⁴	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	एलोपैथी (सी एस एस)	22,263.04	16,561.22	40,045.63	(-) 5,701.82	23,484.41	(-) 25.61	141.80

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा।

ग. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों/योजनाओं की नमूना जांच में पाया गया कि 2022-23 से 2023-24 तक के अवधि के दौरान एक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना में लगातार बचत हुई, क्योंकि विभाग इन दो वर्षों के दौरान पूरे बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। विवरण तालिका-3.28 में दिया गया है।

तालिका-3.28: वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2022-23	सार्वजनिक स्वास्थ्य, अन्य व्यय, जिलों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि	2210-06-800-17	10.00	0.00	10.00
2	2023-24	सार्वजनिक स्वास्थ्य, अन्य व्यय, जिलों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि	2210-06-800-17	5.00	0.00	5.00
योग						15.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

⁴ (4210-03-105-01)

घ. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाएँ

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ 20.00 करोड़ और उससे अधिक) तालिका-3.29 में दिया गया है।

तालिका-3.29: केंद्रीय योजना व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्रावधान (मू+अनू)	विभागाध्यक्ष को अवमुक्त धनराशि	व्यय	बजट प्रावधान के सापेक्ष बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	आर सी एच फ्लेक्सिपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	2210-03-110-01-04	611.04	905.51	573.16	573.16	(-) 332.35
2	भारत सरकार द्वारा रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण (90% सी एस एस)	4210-03-105-01-09	372.47	304.00	318.47	318.47	(+) 14.47
3	राज्य कैसर संस्थान हल्द्वानी	4210-03-105-01-10	राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई।	40.00	20.00	20.00	(-) 20.00

स्रोत: बजट, बी एम-8 और विनियोग लेखे।

आर सी एच फ्लेक्सिपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण योजना में, ₹ 905.51 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्ष को ₹ 573.16 करोड़ ही वितरित किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी धनराशि का उपयोग किया गया। हालांकि, केंद्र सरकार ने पूरे वर्ष में ₹ 611.04 करोड़ की कुल धनराशि जारी की, जबकि विभागाध्यक्ष को वास्तव में कम धनराशि वितरित की गई। रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के संबंध में ₹ 304.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 318.47 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी राशि का उपयोग किया गया। इसी तरह, राज्य कैसर संस्थान हल्द्वानी के अंतर्गत,

₹ 40.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 20.00 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी राशि का उपयोग किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि धन वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2024) के अंत में प्राप्त किया गया था, इसलिए, वर्ष के दौरान धन जारी नहीं किया जा सकता था।

2023-24 के दौरान बजट और व्यय के उद्देश्य से निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ 20.00 करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया।

तालिका-3.30: राज्य योजना व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	एच ओ डी को निर्गत धनराशि	व्यय	बचत
1	अस्पताल और डिस्पेंसरी (ई ए पी), स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएँ (विश्व बैंक सहायता प्राप्त) और चारधाम यात्रा (ए डी बी)	2210-01-110-97	150.92	94.50	94.50	(-)56.42
2	दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना (एस पी ए)	4210-03-105-08	50.00	50.00	50.00	0.00
योग			200.92	144.50	144.50	(-)56.42

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेखे।

अनुदान के अंतर्गत राज्य योजना में ₹ 200.92 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 144.50 करोड़ 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्ष को वितरित किए गए, और पूरी धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष के अंत तक बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 56.42 करोड़ की बचत हुई थी।

च. आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन की सुनिश्चितता के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जांच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चला कि 2023-24 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 31.23 करोड़ (2210-₹31.23 करोड़) की राशि उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी थी। इन आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा नामित बैंक खाता हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

छ. प्राप्तियां

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.31 में सारांशित है।

तालिका-3.31: अनुदान के मुख्य शीर्षों 0210 एवं 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
					आधिक्य (+)/कमी(-)	
0210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2021-22	131.67	161.67	177.85	16.18	10.01
	2022-23	145.29	209.17	188.50	(-)20.67	(-)9.88
	2023-24	202.29	211.09	207.17	(-)3.92	(-)1.86
0211 - परिवार कल्याण	2021-22	0.02	0.02	0.09	0.07	350.00
	2022-23	0.02	0.07	27.03	26.96	38,514.29
	2023-24	0.10	0.10	0.08	(-)0.02	(-)20.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

हालाँकि, कुछ शीर्षों की नमूना जांच से पता चला कि आगामी वर्षों में विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आकलन निम्नतर/उच्चतर था जैसा, ₹ पाँच करोड़ और उससे ज्यादा की प्राप्तियों पर आधारित, तालिका-3.32 में दिया गया है।

तालिका-3.32: 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
						आधिक्य (+)/कमी(-)	
1	0210-01-020 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अस्पताल और डिस्पेंसरी सेवा हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ	2021-22	11.25	11.25	9.97	(-)1.28	(-)11.38
		2022-23	12.38	11.25	12.09	0.84	7.47
		2023-24	12.38	12.38	14.47	2.09	16.88
2	0210-01-101 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ	2021-22	70.20	77.20	123.93	46.73	60.53
		2022-23	77.22	120.20	95.62	(-)24.58	(-)20.45
		2023-24	125.22	125.22	117.07	(-)8.15	(-)6.51
3	0210-01-800 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अन्य प्राप्तियाँ	2021-22	2.54	2.54	11.48	8.94	351.97
		2022-23	3.24	7.04	13.42	6.38	90.63
		2023-24	12.24	12.24	10.07	(-)2.17	(-)17.73
4	0210-03-105 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी	2021-22	42.00	55.00	19.77	(-)35.23	(-)64.05
		2022-23	46.20	55.00	55.29	0.29	0.53
		2023-24	46.20	55.00	43.11	(-)11.89	(-)21.62

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
						आधिक्य (+)/कमी(-)	
5	0210-04-104 सार्वजनिक स्वास्थ्य शुल्क और जुर्माने आदि	2021-22	0.00	10.00	9.12	(-)0.88	(-)8.80
		2022-23	0.00	10.00	7.02	(-)2.98	(-)29.80
		2023-24	0.00	0.00	17.15	17.15	0.00
6	0211-00-800 अन्य प्राप्तियाँ	2021-22	0.02	0.02	0.09	0.07	350.00
		2022-23	0.02	0.07	27.03	26.96	38,514.29
		2023-24	0.10	0.10	0.08	(-)0.02	(-)20.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल छह लघु शीर्ष हैं, अर्थात् 01-020 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अस्पताल और डिस्पेंसरी सेवा हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ, 01-101 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ, 01-800 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अन्य प्राप्तियाँ, 03-105 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी, 04-104 सार्वजनिक स्वास्थ्य शुल्क और जुर्माने आदि और 00-800 अन्य प्राप्तियाँ, जिनके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की गयीं।

अनुदान संख्या 29 : बागवानी विकास

यह अनुदान राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। बागवानी फसलों, जिसमें फल, सब्जियाँ, पुष्पकृषि, मसाले, मशरूम और औषधीय एवं सगन्ध पौधे शामिल हैं, की विश्वसनीयता यह भली भांति स्थापित चुकी है कि ये भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, रोजगार सृजन, किसानों और उद्यमियों की आर्थिक स्थिति सुधारने, निर्यात को बढ़ाने और सबसे बढ़कर लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। विभाग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें सभी बागवानी फसलों का आनुवंशिक उन्नयन शामिल है। इसके साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया जा रहा है:

- पौधारोपण सामग्री का उत्पादन
- नए बागों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)
- पुनरुद्धार
- जल संसाधनों का निर्माण
- संरक्षित खेती

- vi. मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण क्रिया का प्रसार
- vii. बागवानी यांत्रिकीकरण
- viii. मानव संसाधन विकास (एच आर डी)
- ix. पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन- (पी एच एम), विपणन और प्रसंस्करण अवसंरचना

क. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 तक क्रमशः 24.01 प्रतिशत, 2.73 प्रतिशत और 18.89 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि 2023-24 में पिछले वर्षों के मुकाबले 10.26 प्रतिशत की कमी आयी, जैसा कि तालिका-3.33 में सारांशित है।

तालिका-3.33: वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय का सारांश
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2401- फसलीकरण	2019-20	313.04	15.82	328.86	260.87	67.99	20.67	
	2020-21	380.86	39.81	420.67	323.51	97.16	23.10	24.01
	2021-22	367.23	34.63	401.86	332.34	69.52	17.30	2.73
	2022-23	499.38	37.36	536.74	395.12	141.62	26.39	18.89
	2023-24	580.97	8.41	589.38	354.60	234.78	39.84	(-)10.26
योग		2,141.48	136.03	2,277.51	1,666.44	611.07	26.83	-

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2020-21 को छोड़कर 2019-20 से 2023-24 के दौरान निरन्तर बचत रही। इस अवधि के दौरान ₹136.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 2,141.48 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 1666.44 करोड़ से अधिक था। ₹ 20 करोड़ से अधिक धनराशि की योजनाओं के लिए अनुदान लघु शीर्षों के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर कोई अनुचित रूपरेखा नहीं थी।

ख. पूंजीगत व्यय

कुल पूंजीगत व्यय में पिछले वर्षों की तुलना में 2020-21 के दौरान 63.17 प्रतिशत की वृद्धि, 2021-22 के दौरान 11.39 प्रतिशत की वृद्धि, 2022-23 में 1.94 प्रतिशत की कमी और 2023-24 में 484.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा तालिका-3.34 में सारांशित है।

तालिका-3.34: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)	प्रतिशत में	
							बचत (+)/ आधिक्य(-)	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4401- फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	2019-20	11.50	0.35	11.85	8.77	3.08	25.99	
	2020-21	12.00	0.00	12.00	14.31	-2.31	(-)19.25	63.17
	2021-22	20.50	0.44	20.94	15.94	5.00	23.88	11.39
	2022-23	36.10	0.00	36.10	15.63	20.47	56.70	(-)1.94
	2023-24	232.40	4.00	236.40	91.38	145.02	61.35	484.64
योग		312.50	4.79	317.29	146.03	171.26	53.98	-

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगातार बचत होती रही। इस अवधि के दौरान, ₹ 4.79 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 312.50 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 146.03 करोड़ से अधिक था। अनुदान के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लघु शीर्षों के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय की रूपरेखा नहीं थी।

ग. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा 2021-22 से 2023-24 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया था, गया जैसा तालिका-3.35 में दिया गया है।

तालिका-3.35: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2021-22	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	500.00	0.00	500.00
2	2022-23	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	2,000.00	0.00	2,000.00
3	2023-24	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	2,000.00	0.00	2,000.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने बजट अधिकारी को इस मुद्दे पर गौर करने और आगामी बजट में बजट प्रावधान से हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

घ. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाएँ

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक) तालिका-3.36 में दिया गया है।

तालिका-3.36: केंद्रीय योजना व्यय (₹20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्रावधान	विभागाध्यक्ष को निर्गत धनराशि	व्यय	बचत
1	सी एस एस योजना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना (90:10))	2401-00-119-01-14	8.24	15.00	7.54	7.54	7.46
2	प्रति बूंद अधिक फसल (पी एम के एस वाई)	2401-00-119-01-15	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401-00-119-01-16	0.00	42.66	34.73	34.73	7.93

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना में, ₹ 15.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 7.54 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया। इस वर्ष के अंत तक बजट प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 7.46 करोड़ की बचत थी। हालांकि, केंद्रीय सरकार ने वर्ष में कुल ₹ 8.24 करोड़ की धनराशि जारी की, जबकि वास्तव में विभागाध्यक्ष को कम राशि वितरित की गयी। प्रति बूंद अधिक फसल योजना में, यद्यपि ₹ 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान था, लेकिन इस वर्ष भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, हालांकि ₹ 42.66 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार ने ₹ 34.73 करोड़ जारी किए और विभागाध्यक्ष द्वारा इस सम्पूर्ण राशि का व्यय किया गया।

2023-24 के दौरान बजट और व्यय के उद्देश्य से निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ 10 करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया।

तालिका 3.37: राज्य योजना व्यय (₹ 10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	विभागाध्यक्ष को निर्गत राशि	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	मिशन एप्पल योजना	2401-00-119-31	35.00	10.78	10.78	(-)24.22
2	नाबार्ड ई ए पी योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग को अनुदान	4401-00-119-98	200.00	77.74	77.74	(-)122.26
योग			235.00	88.52	88.52	(-)146.48

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेखे।

अनुदान के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत, 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्षों को ₹ 235.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष मात्र ₹ 88.52 करोड़ वितरित किए गए, और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया। वर्ष के अंत तक बजट प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 146.48 करोड़ की बचत थी।

च. आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जांच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डाटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चला कि 2023-24 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 87.07 करोड़ (2401- ₹ 10.78 करोड़ और 4401- ₹ 76.29 करोड़) की धनराशि उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी थी। इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नामित बैंक खाता हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

छ. प्राप्तियां

2021-22 से 2023-24 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0401 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.38 में सारांशित है।

तालिका-3.38: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0401 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशतता
					आधिक्य (+)/कमी(-)	
0401- फसलीकरण	2021-22	1.31	7.21	6.81	(-)0.40	(-)5.55
	2022-23	3.44	5.15	7.03	1.88	36.50
	2023-24	5.71	5.71	8.05	2.34	40.98

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

हालाँकि, कुछ शीर्षों की नमूना जांच से पता चला कि विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में आकलन निम्नतर/उच्चतर था, ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक की प्राप्तियों पर आधारित, जैसा तालिका-3.39 में दिया गया है।

तालिका-3.39: मुख्य शीर्ष -0401 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशतता
						आधिक्य (+)/कमी(-)	
1.	0401-00-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2021-22	0.20	6.09	5.06	(-)1.03	(-)16.91
		2022-23	2.21	3.34	4.98	1.64	49.10
		2023-24	3.80	3.80	6.03	2.23	58.68

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 29 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत केवल एक लघु शीर्ष है, अर्थात् 800 अन्य प्राप्तियाँ, जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की गयी।

3.14 केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय

वर्ष 2023-24 के बजट आशय का आकलन करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों/ योजनाओं को चुना गया और जांचा गया।

तालिका-3.40: केंद्र योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	बजट	भारत सरकार द्वारा निर्गत	राज्य में डी डी ओ को आवंटन	कुल आवंटन	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	आर सी एच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लेक्सिपूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,012.97	611.04	546.28	1,157.32	651.77	505.55
2	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	570.52	502.50	514.47	1,016.97	568.06	448.91
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,285.00	551.05	686.58	1,237.63	684.59	553.04
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) - ग्रामीण	510.42	388.19	422.28	810.47	431.61	378.86
5	समग्र शिक्षा	572.24	440.57	647.54	1,088.11	647.54	440.57
6	पी एम के एस वाई - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	417.93	165.56	305.91	471.47	305.91	165.56
7	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (छत्र आई सी डी एस आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी लड़कियों के लिए पोषण अभियान योजना, तथा राष्ट्रीय क्रेच योजना)	224.99	288.24	524.79	813.03	567.80	245.23
योग		4,594.07	2,947.15	3,647.85	6,595.00	3,857.28	2,737.72

स्रोत: पी एफ एम एस डाटा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को सात प्रमुख योजनाओं के संबंध में ₹ 4,594.07 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष केंद्र सरकार से ₹ 2,947.15 करोड़ प्राप्त हुए और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को राज्य निधि से ₹ 3,647.85 करोड़ आवंटित किए गए। वर्ष के दौरान ₹ 3,857.28 करोड़ का व्यय किया गया जो कुल आवंटन ₹ 6,595.00 करोड़ का 58.49 प्रतिशत था।

तालिका-3.41: राज्य योजना पर व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं				
क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	सगन्ध पौधा केंद्र और सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए अनुदान	24.50	6.40	26.12
2	एकीकृत कृषि गांव योजना	12.00	0.00	0.00
3	हेलिकॉप्टर/विमान की खरीद	50.00	0.00	0.00
4	राज्य खाद्य योजना	19.23	0.00	0.00

स्रोत: वित्त लेख।

उपर्युक्त तालिका के आंकड़े राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में व्यय के विभिन्न स्तरों के साथ सगन्ध पौधा केंद्र और सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए अनुदान जिसमें धन का उल्लेखनीय उपयोग हुआ को दर्शाते हैं, जबकि एकीकृत कृषि गांव योजना, हेलिकॉप्टर/विमान की खरीद और राज्य खाद्य योजना में व्यय शून्य सूचित हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को निष्पादन का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने, इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने और प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए समय-समय पर सूचना को एकत्र और विश्लेषण करके उपयोग करना चाहिए।

संक्षेप में, बजट प्रावधानों और व्ययों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत बजटीय आशय का संकेत देता है। हालाँकि, कुछ राज्य योजनाओं ने अपने आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए भविष्य में अधिक ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है।

3.15 निष्कर्ष

- वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 88,728.20 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 7,118.49 करोड़ की कुल बचत हुई।

- 24 प्रकरणों में ₹4,183.83 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पाँच प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों की तुलना में ₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- ₹ 7,118.49 करोड़ की कुल बचत में से केवल ₹ 2,477.40 करोड़ का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर किया गया। अनुदान संख्या 23-उद्योग में ₹ 40.00 करोड़ का समर्पण किया गया, लेकिन इसे विनियोग लेखों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ₹ 40.00 करोड़ की समर्पित राशि, ₹ 39.58 करोड़ के मूल और अनुपूरक बजट से अधिक थी।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक की अवधि से संबन्धित ₹ 48,654.69 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम ₹ 28,618.93 करोड़ और अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के ₹ 19,041.88 करोड़ सहित) की व्ययाधिक्य की धनराशि को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 62.26 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों और भूमि क्रय से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, ₹ 608.82 करोड़ का व्यय पूंजीगत अनुभाग में दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान और अन्य विभागीय व्यय से संबंधित था, जिसे सामान्यतः राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए था।

3.16 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए;*
- *राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और राशि का समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।*